उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, वाराणसी क्षेत्र के काशी डिपो कार्यशाला व बस स्टेशन काशी डिपो पर साइलेन्ट फीचर जनरेटर किराये पर लगाये जाने हेतु निविदा।

टेण्डर–सूचना

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, वाराणसी क्षेत्र के काशी डिपो कार्यशाला व बस स्टेशन काशी डिपो हेतु मासिक किराये के आधार पर 63 के0वी0ए0 के साइलेन्ट फीचर जनरेटर सेट नया एवं ब्राण्डेड (किर्रलोस्कर,कमिन्स,जीलैण्ड,महिन्द्रा एवं जैक्सन आदि) लगाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे निम्न शर्तो के आधार पर 03 वर्श की अवधि के लिए किराये पर जनरेटर लगाये जाने हेतु अपनी निविदायें/प्रस्ताव अपने लेटर पैड पर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 17–04–2017 तक समय 15.00 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत कर सकते है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य शर्ते दिनांक 13–04–2017 से किसी भी कार्यालय दिवस में रुपया–100.00 निर्धारित धनराशि का भुगतान कर प्राप्त कर सकते है। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले निविदाओं/प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा। और निविदा के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय क्षेत्रीय समिति द्वारा लिया जायेगा। तीन वर्श उपरान्त कार्य संतोशजनक पाये जाने पर पुनः अनुबन्ध 02 वर्श हेतु नवीनीकरण किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

मुख्य शर्ते–

1–जनरेटर की क्षमता 63 के0वी0ए0 की होनी चाहिए।

2–निविदा स्वीकृत होने के पश्चात 15 दिन के अन्दर नया जनरेटर सेट ब्राण्डेड लगाया जाना अनिवार्य होगा।

3–समस्त व्यय जैसे जनरेटर के आपरेटर, डीजल, मेन्टेनेन्स, मेन्टेनेन्स से सम्बन्धित सामान, कलपुर्जो एवं अन्य कर इत्यादि निविदादाता द्वारा देय होगा।

4–निविदादाता द्वारा जनरेटर प्रति घन्टे किराये की दरें निविदा में दर्शाना पड़ेगा।

5–किराये पर लगे जनरेटर में इलेक्ट्रानिक मीटर लगा (इनबिल्ड) होना चाहिये, ताकि टेम्परिंग न की जा सके।

6–जनरेटर की लागबुक निविदादाता को बनानी होगी जिस पर जनरेटर के प्रत्येक बार स्टार्ट एवं बन्द होने का समय डिपो फोरमैन द्वारा अंकित किया जायेगा।

7–समस्त देय करों का भुगतान फर्म द्वारा किया जायेगा।

8–जनरेटर में डीजल खपत की समीक्षा परिवहन निगम द्वारा समय–समय पर गठित समिति द्वारा की जायेगी, जिसके सदस्य निविदादाता या उनके अधिकृत प्रतिनीधि भी होगे। डीजल व्यय का भुगतान प्रति घंटे के डीजल के औसत खपत के अनुसार जो वास्तविक अथवा कम्पनी के स्पेशिफिकेशन के अनुसार जो न्यूनतम होगा के आधार पर किया जायेगा। सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक काशी डिपो, वरिश्ठ अग्रजन व स्टेशन अधीक्षक काशी डिपो द्वारा बिल सत्यापित व प्रतिहस्ताक्षरित कर जनरेटर के मासिक किराये व डीजल व्यय का बिल प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर आरटीजीएस के माध्यम से किया जायेगा।

9–जनरेटर का संचालन निविदाकर्ता द्वारा अपने कार्मिक से कराना होगा। जनरेटर द्वारा पावर बैकअप की सुविधा 24 घंटे के आधार पर उपलब्ध करानी होगी। जनरेटर खराब होने की स्थिति में संचालक को दूसरा जनरेटर तत्काल उपलब्ध कराना होगा।

10–प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड से ध्वनि एवं वायु प्रदूशण का अनापत्ति प्रमाण–पत्र निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

11–जमानत के रुप में धनराशि रुपया दस हजार(रु0 10000.00) का अर्नेस्टमनी का बैक ड्रफ्ट जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 परिवहन निगम, वाराणसी के नाम होगा, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

Downloaded from www.upsrtc.com

12–किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार कियो जाने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।

13–निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि एवं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के मध्य अनुबन्ध पत्र निश्पादित किया जायेगा एवं अन्य औपचारिकतायें निविदादाता द्वारा पूर्ण करनी होगी।

14–निविदादाता को पैनकार्ड, सर्विस टैक्स पंजीयन, टिन नम्बर व फर्म के पंजीयन प्रमाण–पत्र की छाया प्रति साथ में देना अनिवार्य होगा।

15–अनुबन्ध की अन्य शर्ते किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय आकर देखा जा सकता है।

(राजीव आनन्द)
सेवा प्रबन्धक
वाराणसी

कार्यालय सेवा प्रबन्धक
उ0 प्र0 परिवहन निगम
वाराणसी

पत्रांक–वारा0/से0प्र0/किराये का जनरेटर/ 407 /17 दिनांक 12–04–2017

प्रतिलिपि–निमनलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1–मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्राविधिक/संचालन), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

2–प्रधान प्रबन्धक(विविध/एम0आई0एस0), परिवहन निगम, मुख्यालय लखनऊ।

3–नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी।

4–क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 परिवहन निगम वाराणसी।

5–सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त) उ0 प्र0 परिवहन निगम वाराणसी।

6–सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(एम0आई0एस0), परिवहन निगम, मुख्यालय लखनऊ को परिवहन निगम की बेबसाईड पर विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने हेतु सूचनार्थ।

7–सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 परिवहन निगम काशी को इस आशय से कि वह बस स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर इस विज्ञप्ति की प्रति चस्पा कराना सुनिश्चित करे।

8–नोटिस बोर्ड, क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक, कार्यालय उ0 प्र0 परिवहन निगम वाराणसी।

सेवा प्रबन्धक
वाराणसी

Downloaded from www.upsrtc.com